भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 105
उत्तर देने की तारीख 02.02.2022

'स्फूर्ति' योजना के तहत परियोजनाएं

105. **श्री केसिनेनी श्रीनिवासः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'स्फूर्ति' (पारंपरिक उद्योग उन्नयन और पुनर्निर्माण कोष योजना) योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक इसके तहत अब तक पूरी की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कोविड-19 के कारण एमएसएमई क्षेत्र के समक्ष आई ऋण की कमी का अनुमान लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो ब्यौरा क्या है;

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों प्रकार के बैंकों द्वारा एमएसएमई को पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि वितरित की गई है; और

(घ) एमएसएमई द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान लिए गए ऐसे ऋणों, जो गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में बदल गए हैं, का राज्य-वार प्रतिशत ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) आज की तारीख के अनुसार, 1292 करोड़ रु. की भारत सरकार सहायता से लगभग 2.94 लाख कारीगरों को लाभान्वित करते हुए परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति) के अंतर्गत 498 क्लस्टरों को अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित क्लस्टरों में से, अब तक 272 क्लस्टर क्रियाशील हो गए हैं। क्रियाशील और कार्यान्वयन के अंतर्गत जारी क्लस्टरों की राज्य-वार सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख) कोविड-19 के कारण एमएसएमई क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही ऋण की कमी का अनुमान लगाने के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को संवितरित ऋण की राज्य-वार सूची **अनुबंध-II** में दी गई है।

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ एमएसएमई क्षेत्र का कुल एनपीए **अनुबंध-III** में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

दिनांक 02.02.2023 को उत्तर के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 105 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

स्फूर्ति के अंतर्गत क्रियाशील और कार्यान्वयन के अधीन क्लस्टरों की राज्य-वार सूची

राज्य का नाम	क्रियाशील	कार्यन्वयन के अंतर्गत	कुल योग
अंडमान और निकोबार		1	1
आंध्र प्रदेश	8	8	16
अरुणाचल प्रदेश	3		3
असम	24	11	35
बिहार	5	5	10
छत्तीसगढ़	3	2	5
गुजरात	10	4	14
हरियाणा	4	1	5
हिमाचल प्रदेश	2	2	4
जम्मू और कश्मीर	2	6	8
झारखंड	3	12	15
कर्नाटक	18	10	28
केरल	9	1	10
मध्य प्रदेश	29	15	44
महाराष्ट्र	16	11	27
मणिपुर	16	10	26
मेघालय	1	5	6
मिजोरम	1		1
नागालैंड	5	2	7
ओडिशा	33	35	68
पंजाब	1	1	2
राजस्थान	12	22	34
सिक्किम	3	1	4
तमिलनाडु	14	12	26
तेलंगाना	11	5	16
त्रिपुरा	1	2	3
उत्तर प्रदेश	21	34	55
उत्तराखंड	3	2	5
पश्चिम बंगाल	14	6	20
कुल योग	**272**	**226**	**498**

अनुबंध-II

दिनांक 02.02.2023 को उत्तर के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 105 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध						
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों* द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को संवितरित ऋण की राज्य-वार सूची						
क्र. सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2017-18 के दौरान संवितरित राशि	वर्ष वर्ष 2018-19 के दौरान संवितरित राशि	वर्ष 2019-20 के दौरान संवितरित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान संवितरित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान संवितरित राशि
1	अंडमान और निकोबार	380.75	467.13	447.78	506.56	174.11
2	आंध्र प्रदेश	32541.55	38613.89	34866.26	37084.48	33698.22
3	अरुणाचल प्रदेश	290.88	395.73	404.38	382.01	342.44
4	असम	10571.6	13926.73	13443.11	12943.83	8127.84
5	बिहार	15000.12	20274.28	22491.35	20277	13729.71
6	चंडीगढ़	4920.99	5614.48	5672.06	4788.09	6064.17
7	छत्तीसगढ़	12385.87	15228.01	15204	17990.94	16793.35
8	दादरा और नगर हवेली	386.21	779.8	903.45	1030.5	1095.3
9	दमन और दीव	206.08	648.98	356.99	192.56	323.28
10	दिल्ली	79935.47	84316.58	85701.61	85525.22	108303.87
11	गोवा	3116.52	2483.5	2387.83	3194.29	2903.84
12	गुजरात	60645.63	79623.78	85521.92	84191.68	118555.58
13	हरियाणा	29622.03	40075.75	40045.89	38236.73	54292.92
14	हिमाचल प्रदेश	5206.56	5662.5	5693.47	4837.72	4585.01
15	जम्मू और कश्मीर	7010.46	9920.69	9357.97	9771.9	9003.4
16	झारखंड	11339.87	13216.6	14012.22	14089.45	11571.11
17	कर्नाटक	47001.61	55370.52	61306.09	63024.87	71516.65
18	केरल	32890.48	38312.68	40976.62	38897.28	32107.66
19	लक्षद्वीप	119.14	17.45	19.45	23.08	4.14
20	मध्य प्रदेश	31500.76	35514.72	37728.53	35427.33	37063.49
21	महाराष्ट्र	170685.99	214119.32	230333.63	215942.66	278100.26
22	मणिपुर	387.23	565.34	541.44	537.11	367.09
23	मेघालय	527.99	665.9	686.87	679.95	396.8
24	मिजोरम	596.74	418.6	418.47	408.81	267.31
25	नागालैंड	1106.61	403.8	450.28	452.17	271.78
26	ओडिशा	15383.83	22002.38	27224.95	22261.75	17872.45
27	पुदुचेरी	2123.5	1637.01	1644.37	1556.04	1638.44
28	पंजाब	32398.47	37688.61	35935.44	35785.56	44914.18
29	राजस्थान	43190.06	51085.15	51393.6	51974.94	61246.41
30	सिक्किम	275.76	783.16	429.97	423.09	317.94
31	तमिलनाडु	88884.52	105004.69	116188.31	117700.79	144230.39
32	तेलंगाना	40651.18	39801.63	40592.35	41888.09	46443.77
33	त्रिपुरा	1629.23	2101.93	2198.05	2052.16	889.69
34	उत्तराखंड	19544.7	27486.12	24576.86	20380.37	7331.12
35	उत्तर प्रदेश	45340.62	51275.66	54916.25	54514.66	67983.39
36	पश्चिम बंगाल	58489.28	73654.07	76207.81	62067.57	64138.34
	कुल	**906288.29**	**1089157.18**	**1140279.65**	**1101041.23**	**1266665.47**

*एससीबी आंकड़ों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) और विदेशी बैंक शामिल हैं।

अनुबंध III

दिनांक 02.02.2023 को उत्तर के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 105 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध		
विगत पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ एमएसएमई क्षेत्र का कुल एनपीए		
क्र.सं.	**वर्ष**	**राशि**
1.	2017-18 (मार्च, 2018 तक)	1,63,229.00
2.	2018-19 (मार्च, 2019 तक)	1,61,733.00
3,	2019-20 (मार्च, 2020 तक)	1,62,310.00
4.	2020-21 (मार्च, 2021 तक)	1,82,114.00
5.	2021-22 (मार्च, 2022 तक)	1,54,831.00